मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 7-13/2018/छ: भोपाल, दिनांक 22/04/2023

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
   मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश

विषय:- शासन संधारित मंदिरों की कृषि भूमियों को प्रबंधन के संबंध में।

संदर्भ:- विभागीय आदेश क्रमांक एफ 7-13/2018/छ: दिनांक 04/10/2018।

--0—

उपरोक्त संदर्भित् आदेश क्रमांक एफ 7-13/2018/छ: दिनांक 04/10/2018 की कण्डिका-2 को अधिक्रमित करते हुए शासन संधारित मंदिरों की कृषि भूमियों के संबंध में निम्न आदेश जारी किये जाते है:-

जिन शासन संधारित मंदिरों के पास 10 एकड़ तक कृषि भूमि संलग्न है, इससे होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के लिये कर सकेंगे। इसी प्रकार ऐसे शासन संधारित मंदिर, जिनमें 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि संलग्न है, 10 एकड़ भूमि से होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के लिए कर सकेंगें तथा शेष कृषि भूमियों को जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर कृषि प्रयोजन हेतु नीलामी कर सकेंगें तथा इससे प्राप्त होने वाली आय मंदिर के खाते में जमा करायी जावेगी।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(पुष्पा कुलेश)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग

पृ.क्रमांक एफ 7-13/2018/छ: भोपाल, दिनांक 22/04/2023

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

--2--

3. विशेष सहायक, मान. मंत्री धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग।
4. निज सहायक, मान. मंत्रीगण।राज्य मंत्रीगण म.प्र.शासन।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
7. अपर मुख्य सचिव, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल।
8. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
9. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल।
10. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
11. संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, सतपुडा भवन भोपाल।
12. गार्ड फाईल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग